पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2142
दिनांक-01.09.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम लखनऊ

- **पत्रकारो से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.08.2025 को वादी श्री जुवैर अहमद पुत्र स्व0 सगीर अहमद निवासी सेक्टर 03 थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि विपक्षीगणों द्वारा एकराय होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने व जान से मारने की धमकी दी है उपरोक्त शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0196/2025 धारा 191(2)/351(2)/352 BNS बनाम 01.दादू 02.अरशद 03. अन्य 04 अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रवीन कुमार को सुपुर्द हुई।

दिनांक 01.09.2025 को उ0नि0 प्रवीन कुमार मय हमराह थाना क्षेत्र में मामूर थे कि सूचना मिली कि 1.अतुल दूबे पुत्र श्री कृष्ण मोहन दूबे निवासी-3/265 जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ 2.श्यामबाबू पुत्र अर्जुन सिंह निवासी- ग्राम खड़गपुर जागीर जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ 3.अरुण कुमार पुत्र श्री शंकर लाल निवासी- ग्राम रसूलपुर कायस्थ थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र-24 मुकदमा लिखाने को लेकर विवाद एवं झगड़ा कर रहा था। मौके पर समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परन्तु नही माना और अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगा। शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका होने लगी विपक्षी 01-अतुल दूबे 02-श्यामबाबू 03-अरुण कुमार को अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS में गिरफ्तार मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.अतुल दूबे पुत्र श्री कृष्ण मोहन दूबे निवासी-3/265 जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र-34 वर्ष (व्यवसाय-अमेजन पर काम)

2.श्यामबाबू पुत्र अर्जुन सिंह निवासी- ग्राम खड़गपुर जागीर जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र-30 वर्ष (व्यवसाय-मजदूरी)

3.अरुण कुमार पुत्र श्री शंकर लाल निवासी- ग्राम रसूलपुर कायस्थ थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र-24 वर्ष (व्यवसाय –मजदूरी)

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

1. उ0नि0 प्रवीन कुमार
2. उ0नि0 सीताराम सिंह
3. का0 गोविन्द सिंह
4. का0चालक अजय कुमार रस्तोगी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2137
दिनांक 01.09.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- कृष्णानगर

- **एससीसी हॉस्पिटल के मालिक/डॉक्टर को गुमनाम पत्र लिखकर 20 लाख रूपये की फिरौती मांगे जाने की घटना का किया गया सफल अनावरण।**
- **फिरौती मांगने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण (रेलवे कर्मचारी) को किया गया गिरफ्तार।**
- **क्राइम टीम, सर्विलांस सेल दक्षिणी एवं थाना कृष्णानगर की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही:-

थाना कृष्णानगर, क्राइम टीम लखनऊ एवं सर्विलांस सेल दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एमसीसी हॉस्पिटल के मालिक/डाक्टर को गुमनाम पत्र लिखकर 20 लाख रूपये की फिरोती मांगने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण **01. उमेश कुमार मौर्या** पुत्र श्याम लाल निवासी हाल पता- आई-136ए बरहा रेलवे कालोनी थाना आलमबाग लखनऊ मूल पता- गदियन मोहल्ला कछौना थाना कछौना जनपद हरदोई उम्र 33 वर्ष, **02. सुजीत कुमार लोधी** पुत्र स्व0 मुन्ना लाल निवासी 549/197 बड़ा बरहा थाना आलमबाग लखनऊ उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार करते हुए थाना कृष्णानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-407/2025 धारा-308(4)/351(4) भा0न्या0सं0 का सफल अनावरण किया गया।

02-घटना का विवरण:-

दिनांक 27.08.2025 को वादी मुकदमा ड़ॉ. श्री देवेश रजानी पुत्र श्री महेश रजानी जो कि थाना कृष्णानगर में मेडिकल केयर सेन्टर अस्पताल संचालित करते हैं। दिनांक 26.08.2025 कि रात्रि 09:00 बजे एक अज्ञात ई-रिक्शा चालक द्वारा हॉस्पिटल के गार्ड को एक पत्र दे गया। जिसमें 20 लाख रूपये की रंगदारी मांगे जाने व न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सूचना पर तत्काल थाना कृष्णानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-407/2025 धारा-308(4)/351(4) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों को लगाया गया जिसमें सर्विलांस सेल दक्षिणी एवं अपराध शाखा पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ को भी लगाया गया। इन टीमों द्वारा लगभग 300 सीसीटीवी कैमरों, मैनुअल एवं टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर दो व्यक्ति जो **रेलवे विभाग में टेक्निशयन तृतीय के पद पर ब्रिज वर्कशॉप आलमबाग लखनऊ** में नियुक्त है, को हिरासत में लिया गया। हॉस्पिटल पर पत्र पहुचाने वाले ई-रिक्शा चालक द्वारा इन अभियुक्तों की शिनाख्त कर इन्ही के द्वारा रूपये देकर इमरजेंसी बताकर पत्र हॉस्पिटल में पहुंचाने हेतु दिये जाने की पुष्टि की गयी।

03-पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगणों से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ है कि **उमेश कुमार मौर्या** ने MCC हास्पिटल में इलाज के लिये अपनी माँ व पत्नी को भर्ती कराया था, जिसमें अस्पताल के डाक्टर देवेश रजानी से इलाज सही न करने व पेमेन्ट ज्यादा बताने को लेकर मार्च 2025 में कहासुनी हो गयी थी। इसी बात को लेकर ये लोग डाक्टर देवेश रजानी से खुन्नश रखने लगे। उमेश कुमार मौर्या ने कई प्रकार के लोन भिन्न-भिन्न बैको से ले रखे है तथा ये पूर्व में 04 साल जेल रहकर आया है। इन लोगों ने सोचा कि डाक्टर कही शिकायत नही करेगा तथा डर की वजह से 20 लाख रूपये दे देगा।

इसी उम्मीद से इन दोनों ने योजना बनाकर एक धमकी भरा पत्र 20 लाख रूपया वसूलने के लिये उमेश कुमार मौर्या से लिखवाकर उसी पत्र में रूपये पहुंचाने का नक्शा बनाकर पत्र को एक लिफाफे में बन्द करके लिफाफे पर डाक्टर और हॉस्पिटल का नाम लिखकर राह चलते एक ई-रिक्शा चलाने वाले को रूपये देकर इमरजेंसी बताकर हॉस्पिटल में पहंचाने के लिये दिया था, बतायी गयी तारीख पर हम लोग दूरी बनाकर रूपये पहंचाने वाले स्थान पर नजर बनाये रहे कि कोई न कोई रूपया लेकर जरूर आयेगा लेकिन कोई नही आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर चलने लगी तो हम रूपया लेने के लिये चिन्हित किये गये स्थान पर दोबारा नही गये।

04-अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 407/2025 धारा 308(4)/351(4) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. उमेश कुमार मौर्या पुत्र श्याम लाल निवासी हाल पता- आई-136ए बरहा रेलवे कालोनी थाना आलमबाग लखनऊ मूल पता- गदियन मोहल्ला कछौना थाना कछौना जनपद हरदोई उम्र 33 वर्ष व्यवसाय- रेलवे लाइन में टैक्निशियन का कार्य
2. सुजीत कुमार लोधी पुत्र स्व0 मुन्ना लाल निवासी 549/197 बड़ा बरहा थाना आलमबाग लखनऊ उम्र 34 वर्ष व्यवसाय-रेलवे लाइन में टैक्निशियन का कार्य

06-आपराधिक इतिहास-

- **अभियुक्त उमेश कुमार मौर्या के विरुद्ध कुल 02 आपराधिक मामले दर्ज हैं-**

1. मु0अ0सं0- 323/2015 धारा 302/201/364 भादवि0 थाना बघौली जनपद हरदोई।
2. मु0अ0सं0- 407/2025 धारा 308(4)/351(4) भा0 न्या0 सं0 थाना कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

07-गिरफ्तारी स्थल -

टेडी पुलिया आलमबाग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. क्राइम टीम जनपद लखनऊ
2. सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ
3. थाना कृष्णानगर की संयुक्त पुलिस टीम

नोटः- **श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम उत्साहवर्धन हेतु 25 हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2139
दिनांक 01/09/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.24 को शिकायतकर्ता राजकुमार वर्मा पुत्र श्री मोहनलाल वर्मा व श्रीमती मंजू वर्मा पत्नी सुनील कुमार वर्मा निवासिनी भवन सं0 439/138ग/3 ठाकुरगंज, लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि मेरी व श्रीमती मंजू वर्मा की कृषि योग्य भूमि स्थित ग्राम भदेसुवा (निगोहा) तहसील मोहनलालगंज में के संयुक्त रूप से स्वामी हूँ। उक्त कृषि योग्य भूमि मैने अपने भाई की पत्नी मन्जू वर्मा के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 30-07-2009 व दिनांक 07-08-2009 को क्रय किया था दिनांक 09-11-2022 को मेरे स्थान पर एक अन्य **फर्जी व्यक्ति** को खडा कर कूटरचित दस्तावेजो के माध्यम से प्रार्थी की सम्पत्ति को समरजीत पुत्र बाबूलाल निवासी मसूदपुर बलिया रामवन कुटीर जिला बाराबंकी को विक्रय कर दिया है तथा दिनांक 29-09-2023 को श्रीमती मंजू वर्मा के स्थान पर अन्य महिला को खड़ा कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वसी अहमद सिद्दीकी पुत्र सईद अहमद सिद्दीकी निवासी मोहल्ला इन्दिरानगर तम्बौर जिला सीतापुर व अमरीश तिवारी पुत्र रामस्वरूप निवासी भिखारीखेडा पोखरा जिला बाराबंकी को दिनांक 25-09-2023 को उपनिबन्धक कार्यालय मोहनलालगंज लखनऊ में पंजीकृत करा दिया। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज में मु0अ0स0 458/24 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार मिश्र पुत्र राम कैलाश मिश्र नि0 गुरूनानक नगर थाना आलमबाग लखनऊ (जिसके द्वारा फर्जी राजकुमार बनकर बैनामा किया गया था) को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

मुकदमा उपरोक्त में जमीन खरीदने वाले अभियुक्त वसी अहमद पुत्र सईद अहमद सिद्दीकी निवासी हालपता फौजी कालोनी म0नं0- 551/S-119 आजाद नगर थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ की तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 01.09.2025 को किसान पथ पुल थाना क्षेत्र मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

01-वसी अहमद पुत्र सईद अहमद सिद्दीकी निवासी हालपता फौजी कालोनी म0नं0- 551/S-119 आजाद नगर थाना कृष्णानगर, लखनऊ उम्र 38 वर्ष

03-आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 458/24 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ

04-गिरफ्तारी टीमः-

थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम कमि0 लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2140

दिनांक-01.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-नाका

- थाना नाका पुलिस द्वारा 01 शातिर टप्पेबाज / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- 25,00/- रूपये बरामद।

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर वादी/शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 30.08.2025 को वादिनी द्वारा एक शातिर टप्पेबाज द्वारा वादिनी के रूपये मे खामी बताकर गिनने के बहाने लेकर चतुराई से रूपये चुरा लेने के संबंध के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-163/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

उक्त अभियोग में थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद सलीम पुत्र स्व मकबूल हसन नि0 ट्रान्सफार्मर के पास बड़ी पकड़िया खदरा थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ उम्र 50 वर्ष के पास से दिनांक 31.08.2025 को ऐशबाग पुल के नीचे से चोरी किये गये 2500/- रूपये बरामद करते हुये अभियुक्त उपरोक्त गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएसएस की बढोत्तरी करते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि बैक आदि रूपये के आदान प्रदान वाले जगहो पर जाकर भोली-भाली महिलाओं को बहला फुसलाकर उनके रूपये मे कमी बताकर गिनने के लिये लेकर हाथो की चतुराई से कुल नोटो मे कुछ नोटो के चुरा लेता है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहम्मद सलीम पुत्र स्व मकबूल हसन नि0 ट्रान्सफार्मर के पास बड़ी पकड़िया खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र 50 वर्ष

04- अनावरित अभियोग:-

01- मु0अ0सं0-164/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

05- अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

01.मु0अ0सं0-0140/2019 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट थाना कैण्ट लखनऊ

02.मु0अ0सं0-164/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

06-बरामदगी-

- 2500/- रूपये नगद

07-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1- प्रभारी निरीक्षक श्रीकान्त राय थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

2- म0उ0नि0 गौरव कुमारी नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

3- उ0नि0 छत्रजीत सिंह थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

4- उ0नि0 धीरज गुप्ता थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

5- उ0नि0 कुलदीप सिंह थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

6- का0 अभिषेक त्रिपाठी थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

7- का0 मनोज कुमार चौधरी थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2145
दिनांक-01/09/2025

जोन- उत्तरी/ थाना- सैरपुर

- **शान्ति भंग करने वाले 05 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 01/09/2025 को उ0नि0 श्री राम देव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र रोक रोक थाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन में छठामील बाजार में मामूर थे कि उ0नि0 श्री राम देव को सूचना प्राप्त हुई कि शराब ठेके पास विवाद हो रहा है उक्त सूचना पर उ0नि0 मय हमराह के मौके पर पहुंचे तो पाये कि एकपक्षीय 1-गोकरन पुत्र हजारी उम्र 28 वर्ष निवासी खानपुर मुईया थाना रेउसा जनपद सीतापुर हाल पता- जी0सी0आर0जी0 कालेज के पास पर्वतपुर चौराहा थाना बी0के0टी0 लखनऊ 2-सोनू पुत्र सतीश निवासी हजरतपुर थाना तम्बौर जनपद सीतापुर हाल पता - जी0सी0आर0जी0 कालेज के पास पर्वतपुर चौराहा थाना बी0के0टी0 लखनऊ शराब ठेके के पास सीतापुर रोड़ पर आने जाने वाले व्यक्तियो से अनावश्यक वाद विवाद कर कर आमादा फौजदारी हो रहे थे पुलिस बल द्वारा उपरोक्त दोनो व्यक्तियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो नहीं माने तथा पुलिस वालों के सामने ही और अधिक आक्रोशित होकर आने जाने वाले व्यक्तियों से वाद विवाद कर आमादा फौजदारी होने लगे मौके पर शांति भंग व संज्ञेय अपराध कारित होने के प्रबल अंदेशा पर उपरोक्त व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 170 बी0एन0एस0एस0 में गिरफ्तार किया गया।

दूसरी सूचना समय लगभग 12.50 बजे प्राप्त हुई कि सरैय्या मोड़ पर गुप्ता पूड़ी की दुकान पास दुकानदार कुछ व्यक्तियों से विवाद कर रहा है। उक्त सूचना पर उ0नि0 राम मय हमराह पुलिस बल के पहुचे तो पाये कि एकपक्षीय (1) अशोक गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता उम्र 26 वर्ष (2) समर्पित गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता उम्र 23 वर्ष निवासीगण ग्राम पहाड़ापुर पोस्ट खालगाँव थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर, हाल पता गुप्ता पूड़ी भण्डार सरैय्या मोड़ के पास थाना बी0के0टी0 लखनऊ (3) संदीप चौरसिया पुत्र प्रकाश चौरसिया उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कुरसंडा पोस्ट कसमंडा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर सरैय्या मोड़ के पास पूड़ी के दुकान को चलाते है दुकान पर मूल्य को लेकर ग्राहकों व अन्य आने जाने वाले व्यक्तियों से अनावश्यक वाद विवाद कर आमादा फौजदारी हो रहे थे पुलिस बल द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो नहीं माने हम पुलिस वालों के सामने ही और अधिक आक्रोशित होकर आने जाने वाले व्यक्तियों एवं ग्राहकों से वाद विवाद कर आमादा फौजदारी होने लगे मौके पर शांति भंग व संज्ञेय अपराध कारित होने के प्रबल अंदेशा पर अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बी0एन0एस0एस0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट बी0के0टी0 लखनऊ विधिक कार्यवाही पूर्ण कर पेश करने हेतु रवाना किया गया।

।

02-अपराध कारित करने का तरीका

उग्र होकर आम जनमानस एंव राह चलते व्यक्तियों से अभद्र व्यवहार कर अमादा फौजादारी होना एवं शान्ति भंग करने सम्बन्धी

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

(1) गोकरन पुत्र हजारी उम्र 28 वर्ष निवासी खानपुर मुईया थाना रेउसा जनपद सीतापुर हाल पता – जी0सी0आर0जी0 कालेज के पास पर्वतपुर चौराहा थाना बी0के0टी0 लखनऊ
(2) सोनू पुत्र सतीश उम्र 25 वर्ष निवासी हजरतपुर थाना तम्बौर जनपद सीतापुर हाल पता - जी0सी0आर0जी0 कालेज के पास पर्वतपुर चौराहा थाना बी0के0टी0 लखनऊ
(3) अशोक गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता उम्र 26 वर्ष ग्राम पहाड़ापुर पोस्ट खालगाँव थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर, हाल पता गुप्ता पूड़ी भण्डार सरैय्या मोड़ के पास थाना बी0के0टी0 लखनऊ
(4) समर्पित गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़ापुर पोस्ट खालगाँव थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर, हाल पता गुप्ता पूड़ी भण्डार सरैय्या मोड़ के पास थाना बी0के0टी0 लखनऊ
(5) संदीप चौरसिया पुत्र प्रकाश चौरसिया उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कुरसंडा पोस्ट कसमंडा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर , हाल पता गुप्ता पूड़ी भण्डार सरैय्या मोड़ के पास थाना बी0के0टी0 लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सैरपुर-

1. उ0नि0 श्री रामदेव
2. का0 राजेश कुमार आर्या
3. का0 राजू राणा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2141
दिनांक-01.09.2025

जोन पश्चिमी / थाना तालकटोरा

- **थाना तालकटोरा पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी गयी स्कूटी एक्टिवा बरामद किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा अन्जू शर्मा पत्नी श्री योगेश शर्मा निवासिनी राजाजीपुरम थाना तालकटोरा लखनऊ द्वारा तहरीरी सूचना किया कि दिनांक 29.08.2025 को घर के बाहर खड़ी स्कूटी को किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-179/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 01.09.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वाँछित वाहन चोर सौरभ कुमार पुत्र राजा राम निवासी भरतपुरी बी अम्बेडकर नगर थाना बाजारखाला लखनऊ को अलीतरंग पार्क के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी गयी स्कूटी उपरोक्त बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01-सौरभ कुमार पुत्र राजा राम निवासी भरतपुरी बी अम्बेडकर नगर थाना बाजारखाला लखनऊ मूल पता- निकट सरकारी विद्यालय गुलजार नगर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र 27 वर्ष।

03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ सिंह-

1. मु0अ0सं0-566/2018 धारा 324/504/506 भादंवि थाना बाजारखाला लखनऊ
2. मु0अ0सं0-575/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बाजारखाला लखनऊ
3. मु0अ0सं0-191/2020 धारा 379/411 भादंवि थाना तालकटोरा लखनऊ
4. मु0अ0सं0-101/2021 धारा 41/411/414 भादंवि थाना आलमबाग लखनऊ
5. मु0अ0सं0-197/2023 धारा 379/411 भादंवि थाना आलमबाग लखनऊ
6. मु0अ0सं0-199/2023 धारा 379/411 भादंवि थाना आलमबाग लखनऊ
7. मु0अ0सं0-11/2022 धारा 379/411 भादंवि थाना चौक लखनऊ
8. मु0अ0सं0-12/2022 धारा 411 भादंवि थाना तालकटोरा लखनऊ

04-बरामदगी

चोरी गयी स्कूटी रजि0 संख्या UP32JF0754 बरामद किया गया।

05-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-179/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना तालकटोरा लखनऊ।

06-गिरफ्तारी करने वाली थाना तालकटोरा पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री संदीप जायसवाल थाना तालकटोरा लखनऊ।
2. हे0का0 आनन्दमणि सिंह थाना तालकटोरा लखनऊ।
3. का0 राकेश कुमार पटेल थाना तालकटोरा लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2143
दिनांक-01.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फरार चले रहे वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01.संक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय की टीम द्वारा दिनांक 31.07.2025 को माननीय न्यायालय से निर्गत एनबीडब्लू वारन्ट वाद संख्या 41867/2022 अ0सं0 148/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चौक लखनऊ से सम्बन्धित वारन्टी अभियुक्त अक्षय वाजपेई पुत्र प्रदीप वाजपेई उम्र 36 वर्ष 161/202 ताजीखाना मशकगंज थाना वजीरगंज लखनऊ को दिनांक 31.08.2025 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत एनबीडब्लू वारन्ट के आदेश के परिपेक्ष्य में गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त वाद संख्या 41867/2022 अ0सं0 148/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम मे लगातार फरार चल रहा था। जिसे मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम मे एनबीडब्लू वारंट से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा वारन्टी को घर से गिरफ्तार किया गया। जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

02.गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का विवरण-

1. अक्षय वाजपेई पुत्र प्रदीप वाजपेई उम्र 36 वर्ष 161/202 ताजीखाना मशकगंज थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र 36 वर्ष

03.संबन्धित वाद / अभियोग का विवरण:-

1.वाद सं0 41867/2022 अ0सं0 148/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी

2.उ0नि0 श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह चौकी प्रभारी पाण्डेयगंज

3.का0 योगेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2138
दिनांक-01.09.2025

जोन- पूर्वी/थाना- विभूतिखण्ड

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना विभूतिखण्ड पर दिनांक 29/30.08.2025 को साइबर हाइट के सामने अभियुक्तगणों द्वारा द हाइप रुम बार सम्मिट बिल्डिंग के पब्लिक रिलेशन मैनेजर मो. हम्जा खान पुत्र इदरीश खान व रौनक सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह के साथ सम्मिट बिल्डिंग टिकल्ड पिंक क्लब में पार्टी के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा प्राणघातक हमला आदि करने के सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पर क्रमशः मु.अ.सं. 0321/2025 धारा 109/115(2)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस व मु.अ.सं. 0322/2025 धारा 109/117(1)/191(2)/334(4)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है तथा सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

उक्त घटना की गंभीरता को संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा लापरवाही पाते हुए प्रभारी निरीक्षक एवं चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा उक्त कार्यवाही की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो इसके लिये निम्नलिखित गाइडलाइन्स तय किये गये हैं तथा समस्त बीट उप निरीक्षक को सख्त हिदायत की गयी है कि निम्नलिखित गाइडलाइन्स का शत प्रतिशत का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें

02-सभी बार संचालकों से पुन: अपील की जाती है

1- लाइसेंस की शर्तों व समय सीमा का पूर्णतः पालन करें।
2- बार के अन्दर क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न दे।
3- बार में आने वाले व्यक्तियों की सामान्य चेंकिग करा लें कि किसी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र लेकर अन्दर प्रवेश की अनुमति न दे।
4- बार के अन्दर व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त संख्या में बाउंसर की ड्यूटी रखें।
5- यदि बार के अन्दर किसी प्रकार की घटना का अंदेशा होता है तो तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें।
6- बार के बाहर आगन्तुको के वाहनो की पार्किंग के लिए अलग से गार्ड रखेगे जो स्थानीय पुलिस का सहयोग करेंगें।

03-जनता से अपील की जाती है कि

1- जन मानस से अपील की जाती है कि बार में अनाधिकृत रूप से बार में प्रवेश न ले।
2- बार में प्रवेश करने पर आवश्यक शर्तों एवं नियमों को पालन करते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखेगे।
3- जनता को किसी प्रकार की समस्या होने पर बार संचालक एवं स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे, अपने हाथ में कानून न ले।
4- बार संचालको के द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपने अपने वाहनो को खड़ा करेंगे।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2144
दिनांक- 01.09.2025

जोन-पूर्वी/ थाना गुडम्बा

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 371/2019 धारा 302 भादवि0 के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे आंपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के दिशा-निर्देशन में एवं सहायक पुलिस आयुक्त, गाजीपुर, कमिश्नरेट लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण में श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक थाना गुडम्बा के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार म0का0 8248 शिवानी पाण्डेय के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुये माननीय न्यायालय श्रीमान ए डी जे 10 लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 01.09.2025 सम्बन्धित मु0अ0सं0 371/2019 धारा 302 भादवि0 थाना गुडम्बा लखनऊ के अभियुक्त अभय प्रताप सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह निवासी रामबक्श बरौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को दोषसिद्ध करते हुये मुकदमा उपरोक्त में आजीवन कारावास एवं 10 हाजर रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त

1. अभय प्रताप सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह निवासी रामबक्श बरौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

फैसला-

मु0अ0सं0 371/2019 धारा 302 भादवि0 एक्ट थाना गुडम्बा लखनऊ अभियुक्त अभय प्रताप सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह निवासी रामबक्श बरौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को दोषसिद्ध करते हुये धारा 302 भादवि0 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पैरवीकर्ता-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव थाना गुडम्बा लखनऊ
2. म0का0 शिवानी पाण्डेय थाना गुडम्बा लखनऊ